

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर
 प्रार्थना पत्र संख्या.. 16/2022
 तहसीलदार शाहपुरा बनाम अर्जुन वगैरह
 अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 31/10/2022

तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक आरए/2022/ 1016 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संलग्न मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम छापुडा कलां तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 210 रकबा 0.68 है0, में से 0.0520 है0, ख0नं0 211 रकबा 0.37 है0 में से 0.0152 है0, ख0नं0 212 रकबा 0.19 है0 में से 0.0064 है0, ख0नं0 213 रकबा 0.20 है0 में से 0.0052 है0, ख0नं0 214 रकबा 0.30 है0 में से 0.0150 है0, ख0नं0 215 रकबा 0.43 है0 में से 0.0152 है0, ख0नं0 187 रकबा 0.11 है0 में से 0.0152 है0, ख0नं0 186 रकबा 0.38 है0 में से 0.0124 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.40 है0 में से 0.0120 है0, व ख0नं0 183 रकबा 0.53 है0 में से 0.0092 है0 भूमि को मौके पर चालू आम रास्ता विद्यमान होने से मौके के अनुसार रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में मौके पर ग्रेवल सड़क व कच्चा रास्ता चालू होना बताया है। प्रेषित प्रस्ताव में यह भी अंकन किया कि प्रश्नागत आराजी में मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है एवं रास्ता चालू है। प्रकरण में कुछ खातेदारों ने उपस्थित होकर रास्ता दर्ज करने की सहमति दी है। इस प्रकार प्रकरण का अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के रूप में आम जन के उपयोग में काम आ रही है, जो आमजन के हित में है। रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा व सरपंच ग्राम पंचायत छापुडाखुर्द के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते का समाधान होने एवं आमजन के हित को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम छापुडा कलां तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 210 रकबा 0.68 है0, में से 0.0520 है0, ख0नं0 211 रकबा 0.37 है0 में से 0.0152 है0, ख0नं0 212 रकबा 0.19 है0 में से 0.0064 है0, ख0नं0 213 रकबा 0.20 है0 में से 0.0052 है0, ख0नं0 214 रकबा 0.30 है0 में से 0.0150 है0, ख0नं0 215 रकबा 0.43 है0 में से 0.0152 है0, ख0नं0 187 रकबा 0.11 है0 में से 0.0152 है0, ख0नं0 186 रकबा 0.38 है0 में से 0.0124 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.40 है0 में से 0.0120 है0, व ख0नं0 183 रकबा 0.53 है0 में से 0.0092 है0, भूमि निजी खातेदारी में से (मुताबिक नजरी नक्शा ट्रेस) भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

(मनमोहन) अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

क्रमांक:राजस्व/2022/

528-539

दिनांक : 31/10/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।

2. रक्षित पत्रावली।

(मनमोहन) अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान